नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 19/09/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

हाइब्रिड मोड के माध्यम से 19/09/2023 को सुबह 11:00 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामिती)।
2. श्री एस.के. राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, यूपी सरकार के प्रतिनिधि)।
4. श्री चमन लाल, सहायक वि. व्या. म, कार्यालय अतिरिक्त वि. व्या. म, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री विशम्भर झा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (v) पी.पी. सिंह, एईई, यूपीपीसीबी और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद कार्यसूची लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) 05/09/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

05/09/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 05/09/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) अक्सासिया क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

2.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने केवल 33.32 लाख रुपये का निर्यात किया है और पिछले पांच वर्षों के दौरान यानी 2018-19 से 2022-23 तक निवल विदेशी मुद्रा आय के बराबर राशि अर्जित की है। इसके अलावा, 2020-21 के बाद से कोई निर्यात नहीं किया गया है।

2.2 अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि एक अन्य इकाई अर्थात् मेसर्स प्रभात जर्दा फैक्ट्री (ओवरसीज) प्लॉट नंबर 142-आई, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र पर मेसर्स अक्सासिया क्रिएशन के साथ साझा आधार पर काम कर रही है और यह 30.07.2023 तक वैध थी। इकाई ने साझाकरण अनुमति के विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है जिसे मेसर्स अक्सासिया क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड का स्वीकृति पत्र वैध नहीं माना जा सकता है।

सुरेंद्र मलिक

2.3 अनुमोदन समिति को आगे बताया गया कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 15/09/2023 के माध्यम से इकाई से सही फॉर्म-एफ1 के साथ कुछ जानकारी जमा करने का अनुरोध किया गया है। उसी का इंतजार है।

2.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और आवेदक को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 15/09/2023 का उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने सहभाजन इकाई यानी मेसर्स प्रभात जर्दा फैक्ट्री (ओवरसीज) की विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑनलाइन सुविधा को निलंबित करने का निर्देश दिया क्योंकि सहभाजन वर्तमान में वैध नहीं है।

(3) <u>गणपति ओवरसीज़ - साझेदारों में परिवर्तन और फर्म का लाभ/हानि शेयर अनुपात।</u>

3.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार भागीदारों और फर्म के लाभ/हानि शेयर अनुपात में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया:

(i) साझेदारों में परिवर्तन:

पिछले निदेशक (इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार)	वर्तमान निदेशक
1. श्री दीपक शिंगला 2. श्री कुणाल शिंगला 3. श्री कणव शिंगला	1. श्री दीपक शिंगला 2. श्री कुणाल शिंगला 3. श्री कणव शिंगला 4. श्रीमती अमला शिंगला

(ii) लाभ/हानि शेयर अनुपात में परिवर्तन:

शेयरधारक का नाम	पिछला लाभ/हानि शेयर अनुपात	वर्तमान भागीदार
श्री दीपक शिंगला	40%	08%
श्री कुणाल शिंगला	30%	42%
श्री कणव शिंगला	30%	42%
श्रीमती अमला शिंगला	---	08%
शेयरधारिता में परिवर्तन	**मौजूदा शेयरधारकों के भीतर - 24% नया शेयरधारक - 8%**	

3.2 अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, शेयरधारिता प्रतिरूप में बदलाव के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने के लिए संपदा प्रबंधन प्रभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आगे इकाई को; (i) श्रीमती अमला शिंगला के संबंध में पिछले तीन वर्षों के बायोडाटा और आईटीआर की प्रतिलिपि और (ii) फर्मों के रजिस्ट्रार से प्राप्त होते ही साझेदारी विलेख के पंजीकरण के प्रमाण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(4) <u>आयोनिक रिसर्च लिमिटेड - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण, आईटीसी (एचएस) कोड का समावेश और प्रदर्शन की निगरानी।</u>

4.1 श्री काजल सरकार और श्रीमती मृणालिनी गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री सरकार ने बताया कि चलचित्र पण्य (मूवी मर्केंडाइजिंग) के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं सड़क पर चलने योग्य या व्यावसायिक उपयोग वाले वाहन नहीं हैं, बल्कि ऐसे वाहन हैं जिनका उपयोग फिल्म निर्माण के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, फिल्म निर्माण के लिए बनाया गया हेलीकॉप्टर पूर्ण हेलीकॉप्टर जैसा दिखेगा (और उसी आकार का होगा) लेकिन केवल दो मिनट की उड़ान भरने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि आमतौर पर इन वाहनों की खिलौना प्रतिकृतियां बड़े पैमाने पर निर्मित और बेची जाती हैं।

सुरेंद्र मलिक

4.2 श्री सरकार ने आगे बताया कि श्रेणी एस" ईंधन सेल्स और ठोस अवस्था बैटरियाँ वाले विशेष वाहन" के तहत अंतिम उत्पाद विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन हैं। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित उत्पाद मालिकाना उपभोग्य वस्तुएं हैं जो वाहन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं। यह भी उल्लेख किया गया था कि आवेदन के आधार पर विशिष्ट साज़-सामान की एक पूरी श्रृंखला की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक एम्बुलेंस या अस्पताल के रूप में आकार दी गई बस में बहुत विशिष्ट आंतरिक भाग और उपकरण होंगे। इसी तरह, यह बताया गया कि जलस्थलचर के रूप में आकार दी गई बस में अन्य आवश्यकताएं होंगी, विशेष रूप से जीवन जैकेट के रूप में पानी में यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित। इसके अलावा प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि एक उड़ने वाले वाहन को पैराशूट वगैरह की आवश्यकता हो सकती है।

4.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई को निम्नलिखित कमियों को सुधारने की आवश्यकता है:

(i) अधिकृत संचालन "डेटा ब्रॉडकास्ट" के विरुद्ध दिए गए सीपीसी कोड 85250 और 85106 मौजूद नहीं हैं।

(ii) कच्चे माल / उपभोग्य सामग्रियों और मध्यवर्ती उत्पादों के कुछ आईटीसी (एचएस) कोड का विवरण जैसे "85437029, 84679900, 85079090, 85065000, 73181500, 87142090, 84152010, 85030010, 27112900, 95299 090, 96162000, 33049910, 90131090, 84819090" नहीं है सही ढंग से दिया गया है.

(iii) अगले ब्लॉक अवधि के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा वित्तीय स्थिति विवरण में, पहले और दूसरे वर्ष के लिए प्रस्तावित निवल विदेशी मुद्रा आय का उल्लेख नकारात्मक में किया गया है जिसे इकाई द्वारा स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

4.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित अधिकृत कार्यों के लिए 31.03.2024 तक की अवधि के लिए स्वीकृति पत्र की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया:

(i) आँकड़े प्रसारण (सीपीसी कोड: 84100, 84210, 84220, 84230, 84240, 85101, 85102, 85103, 85105, 85109, 75221, 75222, 75232, 75292, 75299, 96114)

(ii) चलचित्र पण्य (मूवी मर्केंडाइजिंग) (एचएस कोड: 87031090, 87022029, 84819090, 35079079, 39249090, 69120090, 95030010, 96162000, 33019090, 33049910) (क्षमता: 1000 000 इकाई/वर्ष)

(iii) ईंधन सेल और ठोस अवस्था बैटरी वाले विशेष वाहनों की संयोजन (एचएस कोड: 87091100, 87036030, 87033299, 87161000, 87169090, 87163900, 85068010, 85068090, 84679900, 85433000) (क्षमता: 535 इकाई/वर्ष)

हालाँकि, यह अनुमति ऊपर पैरा 4.3 में उल्लिखित दस्तावेज़/सूचना प्रस्तुत करने के अधीन है।

(5) <u>जयश्री जनरल ट्रेडिंग कंपनी - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।</u>

5.1 श्री बी.पी. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। अनुमोदन समिति ने पाया कि अमेरिकी डॉलर में पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा मूल्यवर्धन उपलब्धि का विवरण इस प्रकार है: -

वर्ष	वस्तु	निर्यात (एफओबी में अमेरिकी डॉलर)	इनपुट की लागत (अमेरिकी डॉलर में सीआईएफ)	मूल्य संवर्धन%
2016-17	सोना	2248474	2173159	3.46%
2017-18	चाँदी	9619	6172	55.84%
	सोना	3074914	2972217	3.45%
2018-19	सोना	2294550	2218035	3.44%
2019-20	सोना	689750	666971	3.41%
2020-21	सोना	शून्य	शून्य	

सुरेंद्र मलिक

5.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान सादे सोने के आभूषणों के संबंध में 3.5% का निर्धारित वीए हासिल नहीं किया है। श्री शर्मा ने बताया कि उन्हें वीए की गणना के लिए मूल्य संवर्धन नियम (यानी बीमा और माल ढुलाई शुल्क भी माल के मूल्य में शामिल किया जाएगा) के बारे में जानकारी नहीं थी। हालाँकि, अब वे मूल्यवर्धन नियमों का पालन कर रहे हैं।

5.3 आगे बताया गया कि फॉर्म-एफ1 में, व्यापारिक वस्तुओं में से एक यानी "(xxxiii) 30 सेमी से अधिक चौड़ाई के बुने हुए या क्रोकेटेड कपड़े, जिनमें वजन में 5% या अधिक इलास्टोमेरिक यार्न होता है लेकिन रबर धागा नहीं होता है (60041000)" इसका उल्लेख "30 सेमी से अधिक चौड़ाई के बुने हुए या क्रोकेटेड कपड़े, जिनमें वजन के हिसाब से 5% या अधिक इलास्टोमेरिक सूत **या रबर का धागा** होता है" के रूप में उल्लेख किया गया है जो एचएस कोड के विवरण के अनुसार गलत है।

5.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, उपरोक्त पैरा 5.3 में उल्लिखित प्रस्तावित उत्पाद के सही विवरण के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 जमा करने के अधीन 30/09/2025 तक की अवधि के लिए स्वीकृति पत्र की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। यह अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री के विरुद्ध सभी भुगतान मुफ़्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाएंगे।

(iii) इकाई विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग क्षेत्र बनाए रखेगी और विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रावधानों के अनुसार विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए निवल विदेशी मुद्रा के अलग-अलग रिकॉर्ड/खाते बनाए रखेगी।

(iv) विनिर्माण गतिविधि और व्यापारिक गतिविधि के लिए निवल विदेशी मुद्रा स्थिति की निगरानी अलग से की जाएगी।

5.5 अनुमोदन समिति ने फाइल पर विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 80 के संदर्भ में मूल्य संवर्धन उपलब्धि में कमी पर निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालय को और अधिकार दिया।

(6) जयश्री ज्वैलर्स - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण; अधिकृत संचालन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 श्री बी.पी. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। अनुमोदन समिति ने पाया कि पिछले पाँच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्धन उपलब्धि का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	निर्यात (एफओबी में अमेरिकी डॉलर)	इनपुट की लागत (अमेरिकी डॉलर में सीआईएफ)	मूल्य संवर्धन%
2017-18	36968404	35730471	3.46%
2018-19	36266541	35051440	3.47%
2019-20	22740769	21943047	3.64%
2020-21	17426468	16693368	4.39%
2021-202	7089765	6847155	3.54%

सुरेंद्र मलिक

6.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 2017-18 और 2018-19 के दौरान सादे सोने के आभूषणों के संबंध में 3.5% का निर्धारित वीए हासिल नहीं किया है। श्री शर्मा ने बताया कि उन्हें वीए की गणना के लिए मूल्य संवर्धन नियम (यानी बीमा और माल ढुलाई शुल्क भी माल के मूल्य में शामिल किया जाएगा) के बारे में जानकारी नहीं थी। हालाँकि, अब वे मूल्यवर्धन नियमों का पालन कर रहे हैं।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मौजूदा ब्लॉक की शेष अवधि यानी 11/04/2027 तक के लिए स्वीकृति पत्र की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए इकाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। अधिकृत परिचालन निम्नानुसार होगा:

"का विनिर्माण:

1. सादा सोने के आभूषण (71131911) (1635 किलोग्राम प्रति वर्ष)

2. रंगीन रत्न जड़ित सोने के आभूषण (7113915) (20.00 किलोग्राम प्रति वर्ष)

3. हीरे से जड़ित सोने के आभूषण (71131913) (20.00 किलोग्राम/वर्ष)

4. सादे चांदी के आभूषण (71131141) (35.00 किलोग्राम/वर्ष)"

6.4 अनुमोदन समिति ने फाइल पर विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 80 के संदर्भ में मूल्य संवर्धन उपलब्धि में कमी पर निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालय को अधिकार दिया।

(7) <u>सहस्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस लिमिटेड - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश और अनुमानों में संशोधन।</u>

7.1 निदेशक श्री अमृत लाल मनवानी और इकाई के प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री मनवानी ने बताया कि उनके पास तकनीकी व्यवस्था वाले ग्राहक हैं। बताया गया कि वे सर्वर और डेस्कटॉप मदर बोर्ड का निर्माण कर रहे थे। यह कहा गया था कि वे मौजूदा मशीनों और उपकरणों के अलावा अत्याधुनिक तकनीक वाली मशीनें स्थापित करेंगे।

7.2 अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित बातें देखीं:

(i) इकाई ने रैम का आईटीसी (एचएस) कोड 84733030/84717060/85235220 बताया है। हालाँकि, 85235220 को छोड़कर अन्य दो आईटीसी (एचएस) कोड नवीनतम टैरिफ नामकरण से मेल नहीं खाते हैं।

(ii) एंटीना का आईटीसी (एचएस) कोड - 85291000 मौजूद नहीं है।

(iii) स्वदेशी इनपुट सेवाओं का मूल्य 50.00 लाख रुपये दिखाया गया है, जिसके लिए इकाई को सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची के क्रम संख्या और विवरण के अनुसार 50.00 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं की मूल्यवार सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अतिरिक्त अधिकृत संचालन, जैसे "(i) लैपटॉप (84713010) (20000 इकाई/वर्ष), (ii) टैबलेट पीसी (84713090) (10000 इकाई/वर्ष); (iii) सर्वर (84714120) (200 इकाई/वर्ष); (iv) ऑल-इन-वन पीसी (84713090) (3000 इकाई/वर्ष); (v) डेस्कटॉप (84714190) (4000 इकाई/वर्ष); (vi) अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) (84714110) (1000 इकाई/वर्ष); (vii) केबल संयोजन (85444220) (50000 इकाई/वर्ष); (viii) चार्जर (85044030) (50000 इकाई/वर्ष)" को स्वीकृति पत्र में शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी । अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुमानों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी:

सुरेंद्र मलिक

		रुपये लाख में
	मौजूदा	**संशोधित**
निर्यात का एफओबी मूल्य	13500	29450.00
विदेशी मुद्रा व्यय	8937	19185.50
निवल विदेशी मुद्रा कमाई	4563	10264.50
आयातित पूंजीगत सामान	400	600.00
स्वदेशी पूँजीगत वस्तुएँ	300	300.00
आयातित कच्चा माल	8120	17690.00
स्वदेशी कच्चा माल	1350	2945.00
आयातित इनपुट सेवाएँ	0.00	0.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएँ	50	50.00
रोज़गार	125	275

अनुमोदन समिति ने इकाई को उपरोक्त पैरा 7.2 में देखे गए अनुसार सही आईटीसी (एचएस) कोड/विवरण और इनपुट सेवाओं की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(8) <u>सहस्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश और अनुमानों में संशोधन।</u>

8.1 श्री अमृत लाल मनवानी, निदेशक और श्री सुशील कुमार, इकाई के प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री मनवानी ने बताया कि इकाई के पास तकनीकी व्यवस्था के साथ ग्राहक हैं। बताया गया कि वे सर्वर और डेस्कटॉप मदर बोर्ड का निर्माण कर रहे हैं। इसमें कहा गया था कि वे मौजूदा मशीनों और उपकरणों के अलावा अत्याधुनिक तकनीक वाली मशीनें स्थापित करेंगे।

8.2 अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित बातें देखीं:

(i) इकाई ने रैम का आईटीसी (एचएस) कोड 84733030/84717060/85235220 बताया है। हालाँकि, 85235220 को छोड़कर अन्य दो आईटीसी (एचएस) कोड नवीनतम प्रशुल्क नामकरण से मेल नहीं खाते हैं।

(ii) एंटीना का आईटीसी(एचएस) कोड - 85291000 मौजूद नहीं है।

(iii) इकाई को सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची के क्रम संख्या और विवरण के अनुसार 100.00 लाख रुपये की राशि की स्वदेशी इनपुट सेवाओं की मूल्यवार सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है।

8.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अतिरिक्त अधिकृत संचालन जैसे "(i) लैपटॉप (84713010) (20000 संख्या/वर्ष), (ii) टैबलेट पीसी (84713090) (10000 संख्या/वर्ष); (iii) सर्वर (84714120) (200 संख्या/वर्ष); (iv) ऑल-इन-वन पीसी (84713090) (3000 संख्या/प्रति वर्ष); (v) डेस्कटॉप (84714190) (4000 संख्या/प्रति वर्ष); (vi) अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) (84714110) (1000 संख्या/प्रति वर्ष); (vii) केबल संयोजन (85444220) (50000 संख्या/प्रति वर्ष); (viii) चार्जर (85044030) (50000 संख्या/प्रतिवर्ष)" को स्वीकृति पत्र में शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुमानों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी:

		रुपये लाख में
	मौजूदा	**संशोधित**
निर्यात का एफओबी मूल्य	53000.00	55500.00

सुरेंद्र मलिक

विदेशी मुद्रा व्यय	27175.00	28500.00
निवल विदेशी मुद्रा कमाई	25825.00	27000.00
आयातित पूंजीगत सामान	900.00	1000.00
स्वदेशी पूँजीगत वस्तुएँ	100.00	100.00
आयातित कच्चा माल	25690.00	26890.00
स्वदेशी कच्चा माल	6360.00	6660.00
आयातित इनपुट सेवाएँ	0.00	0.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएँ	50.00	100.00
रोज़गार	246	325

अनुमोदन समिति ने इकाई को उपरोक्त पैरा 8.2 के अनुसार सही आईटीसी (एचएस) कोड/विवरण और इनपुट सेवाओं की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(9) <u>कुंदन रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित कर रहा है।</u>

9.1 यह बताया गया कि मेसर्स कुंदन रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड ने "प्लेन गोल्ड ज्वैलरी (71131911) (1200 किलोग्राम प्रति वर्ष) के निर्माण" के लिए नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

9.2 श्री दीपक विद्यासागर कटियार, निदेशक, श्री दीपक गुप्ता, श्री संजय सिंह जादोन और सुश्री नलनी के साथ, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री कटियार ने बताया कि पहले उनकी नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में मेसर्स कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड (एक समूह कंपनी) नामक इकाई थी जो बाहर निकलने की प्रक्रिया में है। हालाँकि, अभी तक अंतिम निकास अनुमति जारी नहीं की गई है। चूँकि वे नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र से फिर से काम करना चाहते हैं, उनके पास या तो 'मैसर्स कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड' के स्वीकृति पत्र को पुनर्जीवित करने या नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित करने का विकल्प है। इसलिए, उन्होंने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया है।

9.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:

(i) सभी प्रथम निदेशकों अर्थात श्री संजय भार्गव, श्री दीपक गुप्ता, श्री रवीन्द्र चावला की समाप्ति के संबंध में डीआईआर-12 की प्रति नहीं दी गई है।

(ii) सादे सोने के आभूषणों के संबंध में निर्यात और इनपुट (आयातित और स्वदेशी) के मूल्य देने वाले वर्षवार मूल्य संवर्धन अनुमानों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है।

(iii) आवेदक इकाई द्वारा प्रस्तुत विदेशी मुद्रा व्यय विवरण के अवलोकन के दौरान 5 वर्षों के लिए कच्चे माल और घटकों के आयात का कुल मूल्य 314119.94 लाख रुपये दिखाया गया है, जबकि फॉर्म-एफ में इसे 308174.20 लाख रुपये दिखाया गया है, जिसे स्पष्ट करना जरूरी था।

(iv) क्रम संख्या के अनुसार 10.00 लाख रुपये तक की स्वदेशी इनपुट सेवाओं की मूल्यवार सूची और डिफ़ॉल्ट सेवाओं की सूची का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(v) आवेदक ने फॉर्म-एफ पर हस्ताक्षर नहीं किया था।

(vi) एमओए में "विनिर्माण" का उल्लेख नहीं किया गया था।

सुरेंद्र मलिक

9.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और आवेदक को ऊपर देखी गई कमियों के सुधार के साथ अधिकृत निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संशोधित फॉर्म-एफ जमा करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि संपूर्ण दस्तावेज/जानकारी प्राप्त होने, उनकी जांच करने और उचित परिश्रम/आंतरिक जांच करने के बाद ही इसे अनुमोदन समिति में रखा जाएगा।

(10) कुन्दन राइस मिल्स लिमिटेड - स्वीकृति पत्र की बहाली।

10.1 यह बताया गया कि मेसर्स कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड को शुरुआत में "सोना, चांदी, प्लेटिनम और अन्य कीमती धातुओं में व्यापार" के लिए स्वीकृति पत्र संख्या 09/16/2008-परियोजना/1106 दिनांक 22/02/2008 जारी किया गया था, जिसे निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया गया था:

स्वीकृति पत्र संशोधन की तिथि	संशोधित प्राधिकृत संचालन	टिप्पणी
06/07/2009	(i) सोना, चांदी, प्लैटिनम और अन्य कीमती धातुओं में व्यापार (ii) हीरे (कट और पॉलिश) और अन्य कीमती पत्थरों का व्यापार।	इकाई के अनुरोध पर दिनांक 25/06/2019 अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
23/11/2011	(i) केवल सोने और चांदी में व्यापार।	अनुमोदन समिति दिनांक 09/11/2011 ने अधिकृत संचालन की समीक्षा की
27/02/2012	(i) सोने और चांदी में व्यापार (ii) स्वर्ण पदकों का निर्माण (iii) हीरे से जड़ित सोने/चांदी के आभूषणों का निर्माण। *शर्त: अकेले हीरे के व्यापार की अनुमति नहीं है।	इकाई के अनुरोध पर दिनांक 15/02/2012 को अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित।
06/05/2013	(i) हीरे से जड़ित सोने/चांदी के आभूषणों का निर्माण।	अनुमोदन समिति दिनांक 09/04/2013 ने अधिकृत संचालन की समीक्षा की

10.2 इकाई ने अपना निर्यात उत्पादन 11/03/2008 से एसडीएफ नंबर 11, व्यापार खंड, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र से शुरू किया है और इसका स्वीकृति पत्र 10/03/2018 तक वैध था। इकाई ने अपने पत्र दिनांक 17/02/2018 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया था। तदनुसार, इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14/05/2018 और उसके बाद के पत्र दिनांक 14/08/2019 के माध्यम से इकाई से विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से अंतिम निकास पर विचार के लिए निकास औपचारिकताओं का पालन करने का अनुरोध किया गया था। इकाई ने आज तक बाहर निकलने की औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। अंतिम निकासी आदेश जारी नहीं किया गया है।

10.3 अब, इकाई ने अपने पत्र दिनांक 06/09/2023 के माध्यम से कहा है कि वे समझते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर निकलने का उनका अनुरोध अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है और अब वे उस पत्र को वापस लेना चाहते हैं। इकाई ने उनके स्वीकृति पत्र को बहाल करने का अनुरोध किया है।

सुरेंद्र मलिक

10.4 श्री दीपक विद्यासागर कटियार, निदेशक, श्री दीपक गुप्ता, श्री संजय सिंह जादोन और सुश्री नलनी के साथ, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री कटियार ने बताया कि अभी तक उन्हें अंतिम निकास अनुमति जारी नहीं की गई है। चूँकि वे नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र से फिर से काम करना चाहते हैं, उनके पास या तो 'मैसर्स कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड' के स्वीकृति पत्र को पुनर्जीवित करने या नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित करने का विकल्प है। इसलिए, उन्होंने दोनों के लिए आवेदन किया है यानी पुराने स्वीकृति पत्र की बहाली के साथ-साथ मेसर्स कुंदन रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए।

10.5 बताया गया कि आयात खेप में गलत घोषणा के मामले में डीआरआई द्वारा इकाई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं:

(i) डीआरआई, दिल्ली आंचलिक इकाई ने 17 और 18 मार्च 2012 को मेसर्स कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड, एसडीएफ-11, व्यापार खंड, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा के परिसर में तलाशी ली। प्रविष्टियों के तीन बिलों (00001685 दिनांक 15.03.2012, 00001721 दिनांक 16.03.2012 और 00001722 दिनांक 16.03.2012) के तहत कवर किए गए सोने की खेप को अर्ध-निर्मित सोने की चूड़ी आभूषण के रूप में घोषित किया गया, जिसका सकल वजन 258.9 किलोग्राम है, जिसका मूल्य 668169767/- आगे की जांच के लिए हिरासत में लिया गया और बाद में जब्त कर लिया गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि विवादित सामान गलत तरीके से घोषित किया गया था और अनधिकृत संचालन के लिए आयात किया गया था।

(ii) क्षेत्राधिकार निर्णायक प्राधिकारी ने दिनांक 18.04.2012 के आदेश के तहत जब्त किए गए माल को अस्थायी रूप से जारी करने की अनुमति दी, बशर्ते कि माल के मूल्य के 25% के बराबर बैंक गारंटी दी जाए। पार्टी ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष एक रिट दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 27.04.2012 द्वारा माल जारी करने का निर्देश दिया, जो माल के मूल्य के लिए अंतर शुल्क के 30% की बैंक गारंटी और बांड प्रस्तुत करने के अधीन था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माल जारी किया गया।

(iii) मेसर्स कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड ने दिनांक 29.06.2012 के पत्र के माध्यम से विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 34 के तहत 0.995 शुद्धता के अप्रयुक्त अर्ध-तैयार सोने की चूड़ी आभूषणों के पुन: निर्यात के लिए अनुरोध किया, जिसे विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, द्वारा अनुमति दी गई थी, पुनः निर्यात के लिए डीआरआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अधीन, डीआरआई डीजेडयू ने दिनांक 27/09/2012 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि यदि अप्रयुक्त माल को विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्यात किया गया था, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, इस शर्त के साथ कि कोई आपत्ति नहीं है, निर्यात आय में समान गणना सहित जो भी लाभ हो, ऐसे निर्यात पर अनुमति दी जाएगी, उसके बाद, दिनांक 28.12.2016 के पत्र के माध्यम से, डीआरआई ने सूचित किया कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने विवादित खेप की गलत घोषणा के आरोप को बरकरार नहीं रखा और बांड/ बैंक गारंटी जारी करने के लिए कहा।

10.6 विशिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र ने बताया कि इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया गया है, जो अभी भी इकाई से प्रतीक्षित हैं, जिसके कारण अब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका है।

10.7 अनुमोदन समिति ने पाया कि जनवरी 2012 में, इकाई ने हीरे और सोने के पदकों से जड़ित सोने/चांदी के आभूषणों के निर्माण को शामिल करके अपने स्वीकृति पत्र में संशोधन के लिए आवेदन किया था। आवेदन को अनुमोदन समिति ने इस शर्त के साथ मंजूरी दे दी कि हीरों का अलग से व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि विनिर्माण गतिविधि को शामिल करने के लिए अपने आवेदन में, सोने के आभूषणों के निर्माण के लिए कच्चे माल को बार के रूप में सोना और हीरे बताया गया था। इसके अलावा इकाई द्वारा प्रस्तुत विनिर्माण प्रक्रिया के प्रवाह चार्ट के अनुसार, कच्चे माल को बार के रूप में सोने के रूप में दिखाया गया था।

सुरेंद्र मलिक

10.8 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा शुल्क द्वारा जारी पत्र का जवाब जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। अनुमोदन समिति ने आगे यह जांच करने का निर्देश दिया कि इकाई द्वारा किया गया आयात अधिकृत संचालन का हिस्सा क्यों होना चाहिए था। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि इकाई से उत्तर प्राप्त होने के बाद ही, डीआरआई के पत्र और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा शुल्क द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर मामले की आंतरिक जांच की जा सकती है और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को फिर से विचार के लिए रखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त